

1/ 22b/25

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025

राजस्थान सरकार
ग्राम पंचायत, शेरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक:-

दिनांक:-

"ग्रामीण सेवा शिविर"

2025/400

कैम्प कोर्ट..... शेरी.....

शिवारिंद बनाम सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 29/10/25

पटवारी हल्का शेरी....., भू. अभिलेख निरीक्षक..... के.प्रताप की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम शेरी.....के खाता संख्या 339, 340, 341 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व नाम	ग्राम का	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.		शेरी	339,	340, 341	पूरव	राजपूत	
02.							
03.							
04.							

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट..... शेरी.....

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
02. पटवारी, पटवार हल्का..... शेरी.....।
03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

